न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 134/2019 (224/2018)

GCMS NO. : 2018/00038

–:: प्रार्थीगण ::–

1. कालाराम पुत्र सुमेलराम
2. भालुराम पुत्र सुमेलराम
3. कचरूराम पुत्र सुमेलराम
4. नाथूराम पुत्र भदाजी
5. गुणाराम पुत्र भदाजी
6. पेमाराम पुत्र भदाजी

जातियान गुर्जर निवासीगण टुंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. पुकाराम पुत्र किशना
2. नाथूराम पुत्र किशना
3. पेमाराम पुत्र किशना
4. सुवाराम पुत्र गोकल
5. गुट्की बेवा गोकल
6. सुकडी बेवा गेपर
7. बाबुराम पुत्र गेपर
8. श्रवणी पुत्री उदा
9. जीवण पुत्र मंगा
10. हनुमान पुत्र जुआर
11. सुखाराम पुत्र जुआर
12. भूण्डाराम पुत्र जुआर
13. महेन्द्र पुत्र जुआर
14. परमाई पुत्री जुआर
15. सहायता पुत्री जुआर
16. पानकीदेवी पत्नि हरजी
17. गंगा पुत्र सिमरथा
18. हेमा पुत्र शिवदान
19. हडमान पुत्र शिवनाथ
20. परमा पुत्री शिवनाथ
21. गणकी पुत्री शिवनाथ
22. सुखाराम पुत्र भंवरू
23. महेन्द्र पुत्र भंवरू
24. विशनाराम पुत्र भंवरू
25. सांवरराम पुत्र भंवरू
26. फाउराम पुत्र भंवरू
27. सहायता पुत्री भंवरू
28. मैना पत्नि भंवरू
29. सुन्दरी बेवा छीतर
30. निरमा पुत्री छीतर

जातियान [illegible] सीगण टुंकडा तहसील [illegible] पाली।

31. तहसीलदार, [illegible] जिला पाली।
32. पटवारी, [illegible] टुंकडा, तहसील जैता[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. श्री श्यामलाल तंवर अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

तारीख रजू: 25/09/2019

–:: **निर्णय** :

दिनांक: 30/09/2021

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टुंकडा पटवार हल्का टुंकडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर सायलान् का मौके पर हिस्से अनुसार पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त है एवं बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। जिसके खाता संख्या 242 खसरा नम्बर 359 रकबा 32.02 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 361 रकबा 3.05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 362 रकबा 4.19 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा नवोदा, खसरा नम्बर 364 रकबा 5.17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 365 रकबा 2.13 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 366 रकबा 21.16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.14 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 368 रकबा 14.12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 369 रकबा 2.18 बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है। उक्त आराजी की कृषि भूमि मे सायलान् का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/3 का 1/2 = 1/8 हिस्सा आता है और इसी हिस्से माफिक मौके पर सायलान काबिज है एवं गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक का कुल आराजी मे 1/3 का 1/2 हिस्सा यानि 1/3 का 1/2 = 1/6 हिस्सा आता है इसी हिस्से माफिक मौके पर सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या एक से तीन तक काबिज है और शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग करते आ रहे है। नकल प्रमाणित प्रति खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019, संवत् 2020 से 2023, संवत् 2024 से 2027, संवत् 2028 से 2031, संवत् 2032 से 2035, संवत् 2036 से 2039, संवत् 2041 से 2044, संवत् 2045 से 2048, संवत् 2049 से 2051, संवत् 2053 से 2056, संवत् 2057 से 2060, संवत् 2061 से 2064, संवत् 2065 से 2068, संवत् [illegible] से 2072, संवत् 2073 से 2076 तक की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है, [illegible] प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावें। वंशवृक्ष के अनुसार सायलान् एवं गैर[illegible]न् संख्या 01 से 03 तक सभी एक ही पड दादा के वंशज [illegible] है। यानि गैरसायलान् के दादा सालूजी एवं सायलान के दादा जवता ज[illegible]व पडदादा जेठाजी के विधिक वारिसान एवं उतराधिकारीगण है एवं आपस मे भाई–भाई है एवं सायलान् का 1/6 हिस्सा है। इसी हिस्से माफिक मौके पर सायलान का कब्जा काश्त है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

और बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। मौके रंगीन फोटुऐं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट से सायलान् की पुश्तैनी कृषि भूमि है सायलान् के पड दादा जेठाजी अनपढ व्यक्ति थे और गैरसायलान् संख्या 01 से 03 के दादा सालूजी कर्ता खानदान थे एवं होशियार थे वक्त सेटलमेन्ट से उक्त कृषिभूमि पर सायलान् के पडदादा जेठाजी एवं दादा जवंताजी काबिज थे वक्त सेटलमेन्ट के समय सम्बन्धित राजस्व अधिकारियो द्वारा सायलान् के पडदादा जेठाजी का मौके पर कब्जा होते हुये भी मिसल बन्दोबस्त मे नाम दर्ज नहीं किया और गैरसायलान् संख्या 01 से 03 के दादा सालूजी के अकेले का नाम दर्ज कर दिया जो गलत एवं रोंग ऐन्ट्री है सायलान् पिछली चार पीढीयो से यानि पीढी दर पीढी मौके पर कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। मौके पर सायलान् के पडदादा जेठाजी का कब्जा होने की जानकारी राजस्व अधिकारीयो को भी थी। पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो ने भूल से राजस्व रेकर्ड मे केवल मात्र गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक के दादा सालूजी का नाम दर्ज कर दिया जो एक रोंग ऐन्ट्री की तारीफ मे आता है उक्त भूमि सायलान् की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि है जो सायलान् उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से कब्जा काश्त है व आज भी मौके पर काबिज है इसलिये सायलान् माफिक हिस्से अनुसार खातेदारी मे जरिये घोषणा के अपना नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। सायलान् का मौके पर कब्जा काश्त है बिना किसी रोकटोक के ऐज ऑफ राईटस के उपयोग उपभोग करते आ रहे है। गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक की नियत मे फर्द आ गया है। इनका राजस्व रेकर्ड मे अकेले का नाम होने से एवं जमीन की कीमते बढने से सायलान् को लाठी के बल पर बेदखल करके इनकी पुश्तैनी कृषिभूमि हडप करके मोके पर गैरकानूनी रूप से लाठी के बल पर कब्जा करने पर आमादा है एवं स्टेन्जर परचेजर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जो सायलान् ऐसा हरगिज नहीं करने देगे यदि गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक ऐसा करने में सफल हो जाते है तो सायलान् अपने कानूनी जायज हक हकूको एवं मालिकाना अधिकारी एवं साम्पेतिक अधिकारो से वंचित रह जायेगा। सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी। सायलान अपने हिस्से की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि को हरगिज जाने नही देने गैरसायलान मौके पर लडई झगडा करेगे जिससे खून खच्चर होगा और मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी बार बार कानूनी कार्यवाही करने से खर्चे से जेरबार होना पडेगा इसलिये सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उक्त आराजी की कृषिभूमि को सायलान् अपने नाम से कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है और उक्त कृषि भूमि में काश्तकारी से दखलन्दाजी करने से गैरसायलान् को रूकवाने के अधिकारी है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी की सेवा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पेश है। सायलान् गरीब काश्तकार है जो प्रार्थनापत्र मे पेरा संख्या 01 मे वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि मे अपने हिस्से माफिक काश्त करके इससे होने वाली आय से अपने परिवार का पालन पोषण करते है इसके अलावा सायलान् के पास आय का कोई स्त्रोत नही है। यदि गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक ने मिलकर सायलान् को लाठी के बल पर बेदखल कर दिया तो सायलान् के परिवार के सदस्यो के भूखे मरने की नौबत आयेगी। अपने मालिकाना अधिकार से वंचित होना पडेगा इसलिये सायलान की तरफ से गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।घोषणा का अनुतोष गैरसायलान् संख्या 01 से 03 के विरूद्ध ही चाहा गया है। गैरसायलान संख्या 04 से 30 तक सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है जो कानूनी रूप से मेण्डेटरी प्रावधान होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। तथ्यो एवं परिस्थितियो व मौके पर सायलान् का कब्जा काश्त है इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान् के पक्ष मे हर दृष्टिकोण से बखूबी साबित है यदि गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त कृषिभूमि को गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान बक्सीस हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं रॉंग ऐन्ट्री के आधार पर गैरसायलान् सायलान् को लाठी के बल पर बेदखल कर दिया एवं किसी स्टेन्जर परचेजर को बेचान बक्सीस रहन वसीयत कर दिया तो सायलान् अपने साम्पैतिक अधिकारो एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारो से महरूमरह जायेगे एवं सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सुरत मे संभव नही होगी व विविध प्रकार के मुकदमे बाजी होगी जिससे सायलान् को खर्चे से जेरबार होना पडेगा। इस कारण से इन सभी परिस्थितियो मे सायलान् के पक्ष मे व गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिए प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा टुकडा मे स्थित कृषि भूमि जो प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 01 मे दर्शाये खसरा नम्बरान् 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 कुल रकबा 88.17 बीघा कृषि भूमि मे सायलान् का हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है शांतिपूर्वक बिनाकिसी रोकटोक के पूर्वजो के समय से ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे सायलान् के कब्जे काश्त मे गैरसायलान् संख्या 01 से 03 एवं इसके नौकर चाकर हाली एजेन्ट मजदुर एवं परिवार के स[illegible] भी तरह से गैरकानूनी से दखलन्दाजी नहीं करे न ही लाठी के बल [illegible] बेदख[illegible] करे व उक्त भूमि मे गैरसायलान संख्या 01 से 03 [illegible] अकेले का [illegible] गलत दर्ज है जबकि सायलान का भी नाम दर्ज होना चाहिये था जो [illegible] के समय राजस्व अधिकारियो की गलती से दर्ज नही किया गया जो रॉं[illegible] की तारीफ मे आता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान् संख्या 01 से 03 तक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenwer
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी अजनबी क्रेता व्यक्ति को बेचान बक्शीश रहन हस्तान्तरण नही करे गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे व राजस्व रेकर्ड व वर्तमान मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान् के पक्ष मे गैरसायलान् के विरूद्ध जारी फरमावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 4 से 13, 15 से 23, 25, 26 से 30 बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान 1 से 3 व 18,19,29 व 30 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 18,19,29 व 20 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही होने से वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र रेकर्ड पर नहीं लिया गया केवल अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत संयुक्त जवाब प्रा.पत्र रेकर्ड पर लिया गया, जो सा.मि. है। गैरसायलान 1 से 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का जबाव है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है इसमें वर्णित भूमि में गैरसायल संख्या 1 से 3 पुकाराम, नाथूराम पेमाराम पि0 किशनाराम जातियान गुर्जर निवासीगण टूकड़ा का 1/3 हिस्सा आता है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं उक्त भूमि में सायलान का कोई हिस्सा नही आता है। इस पद में सायलान का 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा आने का तथ्य गलत लिखा है। उक्त भूमि पर सायलान का कोई कब्जा काश्त नही है। इसके अलावा पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जबाव है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है इस पद में वर्णित सजरा खानदान (वंशवृक्ष) गलत बनाया गया है व प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से बनाया है। सायलान गैरसायलान संख्या 1 से 3 से 14 पीढी से भी नजदीक नहीं है तथा उक्त भूमि से इनका कोई लेना देना नहीं है। सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 से 3 एक ही परदादा के वंशज होना एव उतराधिकारी होने का तथ्य गलत है। इसलिए गैरसायलान के दादा सालुजी एवं सायलान के दादा जंवता जी एवं परदादा जेठाजी के विधिक वारिसान होने का सवाल पैदा नही होता। सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 से 3 भाई भाई है ही नही तो सायलान का 1/6 हिस्सा होने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा न ही मौके पर कब्जा काश्त [illegible] पूर्वक उपयोग उपभोग का सवाल पैदा होता है। मौके की [illegible] पेश की है वो गलत है उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की फोटग्[illegible] है। इसके अलावा पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 [illegible] है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है जैसा कि उपर निवेदन किया जा चुका है कि सायलान गैरसायल संख्या 1 से 3 के करीब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है ही नही तो सेटलमेन्ट से सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि होने का सवाल पैदा नही होता सायलान के परदादा अनपढ थे या नही इसकी जानकारी गैरसायल संख्या 1 से 3 को नही है। गैरसायलान संख्या 1 से 3 के दादा सालुजी जरूर थे तथा विवादित भूमि पर कब्जा व काश्त उनका ही था सायलान के दादा जेठाजी एवं परदादा जवताजी के काबिज होने के तथ्य गलत लिखे है सेटलमेन्ट के वक्त जिस काश्तकार का कब्जा था उसी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जाता था। इसलिए गलत एवं रोन्ग एन्टी होने का सवाल पैदा नही होता तथा पिछली चार पीढीयो से मौके पर कब्जा काश्त होने के तथ्य भी गलत लिखे है। राजस्व अधिकारी द्वारा पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो ने जो कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रेकर्ड तैयार किया था। वो बिल्कुल सही है सालुजी अपने पिता के एक मात्र पुत्र थे तथा स्वयं सालुजी के किशनाजी एक ही पुत्र थे सायलान ने दो पुत्र बताये है अर्थात् भेरूजी को भी सालुजी का पुत्र बताया है जो गलत है भेरूजी अनजी के पुत्र थे। इसके अलावा पुरा फिकरा गलत है व सायलान खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। इसके अलावा पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जबाव है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि सायलान का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा किसी भी तरह से ऐज ऑफ राईट बिना रोकटोक के उपयोग उपभोग करते नही आ रहे है। गैरसायलान की नियत में तो नही लेकिन सायलान की नियत में फर्क जरूर आ गया है जमीनो के भाव बढ़ने से जबरदस्ती गैरसायलान संख्या 1 से 3 की भूमि हड़प करना चाहते है। सायलान गैरसायल संख्या 1 से 3 से संख्या व शक्ति में ज्यादा है इसलिए कभी भी मौका देखकर लाठी के बल पर उक्त भूमि को छिनना चाहते है। गैरसायल संख्या 1 से 3 विवादित भूमि के रेकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिससे अपनी भूमि को बेचने का पूरा पूरा सवैधानिक साम्पैतिक अधिकार है। यदि उक्त भूमि को गैरसायलान से सायलान छीन लेते है तो गैरसायल संख्या 1 से 3 को साम्पैतिक अधिकारो से वंचित रहना पड़ेगा व अपूर्णीय क्षति गैरसायल संख्या 1 से 3 को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। इसके अलावा सारे तथ्य सायलान ने प्रार्थना पत्र करने की गर्ज से अंकित किये है पुरा फिकरा गलत है व उक्त विवादित भूमि में सायलान को किसी प्रकार से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जबाव है कि [illegible] प[illegible] में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते [illegible]द संख्या 1 में वर्णित भूमि में सायलान का हिस्सा ही [illegible] आय का सवाल ही पैदा नही होता है व ना ही परिवार का पालन [illegible]ण का सवाल पैदा होता है। विवादित भूमि के अलावा सायलान के गांव में ढूंकड़ा बेरा रिया व बेरा नोकड़ी पर लगभग 15-20 बीघा जमीन आती है सारे तथ्य प्रार्थना पत्र करने की गर्ज से लिखे है। गैरसायलान की जमीन हड़पने की नियत से उक्त झूठा प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जो काबिज खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 का जबाव है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जबाव है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद व मनगढ़त होने से गैरसायल संख्या 1 से 3 नामंजूर करते है। तथ्यो परिस्थितियो एवं राजस्व रेकर्ड तथा मौके के आधार पर सायलान का तो नही लेकिन गैरसायल संख्या 1 से 3 का बहुत ही प्रथम दृष्टिया मजबुत मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी गैरसायल संख्या 1 से 3 के पक्ष में हर दृष्टिकोण से बखुबी साबित है । यदि सायलान गैरसायलान संख्या 1 से 3 को अपनी रेकॉर्डेड काबिज खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा कर लेते है तो गैरसायल संख्या 1 से 3 को असीम क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। जैसा कि निवेदन किया जा चुका है कि गैरसायल संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि को रहन बेचान वसीयत आदि अन्य हस्तान्तरण करने का पुरा पुरा सवैधानिक साम्पैतिक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से सायलान की नियत खराब होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसकी आड़ यदि अपने नापाक इरादो में सफल हो जाते है तो विभिन्न प्रकार की मुकदमे बाजी गैरसायलान संख्या 1 से 3 को करनी पड़ेगी जिससे गैरसायल संख्या 1 से 3 जेरबार हो जायेगी जिससे उनको अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। सायलान का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के है। जो खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा ढूंकड़ा में स्थित कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 359, 361 से लगायत 369 कुल रकबा 88-17 बीघा कृषि भूमि में सायलान का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा आता है जो अपने पूर्वजो के समय से है। इसके अलावा पुरा फिकरा गलत है। सेटलमेन्ट के समय राजस्व अधिकारी ने गलती से कोई इन्द्राज नही किया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। गैरसायलान संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के ट्र्यु ऑनर है। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार से कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण [illegible] विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः-** प्रार्थीगण के वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030, संवत् 2016 से 2019, संवत् 2020 से 2023, संवत् 2024 से 2027, संवत् 2028 से 2031, संवत् 2032 से 2035, संवत् 2036 से 2039, संवत् 2041 से 2044, संवत् 2045 से 2048, संवत् 2049 से 2051, संवत् 2053 से 2056, संवत् 2057 से 2060, संवत् 2061 से 2064, संवत् 2065 से 2068, संवत् 2069 से 2072, संवत् 2073 से 2076 पेश की गई है। उक्त खतौनी बंदोबस्त एवं संवतवार जमाबंदियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण दीर्घ समय से वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का खंडन करते हुए यह कथन किया कि सायल एवं गैर सायल संख्या 1 से 3 एक ही परदादा के वंशज होना एवं उत्तराधिकारी होने का तथ्य गलत है एवं मौके की रंगीन फोटो जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है उक्त खसरान भूमि की फोटो नहीं है। सायलान एवं गैरसायलान भाई-भाई नही है, और सायलान का 1/6 हिस्से पर होना व कब्जे काश्त का कथन गलत है। अतः सायलान एवं गैर सायलान के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित नही किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका कब्जा-काश्त कहां है? प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त संबंधी खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नही की हैं जिससे की प्रार्थीगण के कब्जे काश्त संबंधी कथन पुष्ट होते हो। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि यदि खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग से महरुम होना पड़ेगा जिससे निश्चित ही उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पडेगा अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुआ है साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध संवतवार जमाबंदीयों में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के दीर्घ समय से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर कब्जे-काश्त होना अंकित कि[illegible] उक्त कथन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया [illegible] द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी [illegible] कब्जे-काश्त न होने का कथन किया है। चुंकि अप्रार्थीगण [illegible] रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के पक्ष में साबित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है साथ ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है एवं यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे निश्चित ही अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतयाः विफल रहे है कि यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)
(फास्ट ट्रैक) जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)
(फास्ट ट्रैक) जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested